



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2019/आश्विन 4, 1941

No. 568]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2019/ASVINA 4, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 693 (अ).— केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 1958 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्थान से परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(घ) "भारतीय विश्वविद्यालय" से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी शामिल है ;

(ड.) 'अध्यक्ष' से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(छ) 'स्थायी' या 'तदर्थ' समिति से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन गठित संबंधित स्थायी और तदर्थ समितियां अभिप्रेत हैं।

3. चिकित्सा संकाय के प्रतिनिधियों का नामांकन- (1) अधिनियम की धारा 4 के खंड (च) के अधीन सदस्यों के नामांकन के प्रयोजनार्थ, चिकित्सा संकाय वाले प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय के उप कुलपति विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय में से एक व्यक्ति की संस्तुति कर सकता है, यदि उप कुलपति कोई चिकित्सा कार्मिक है तो उसे भी संस्तुति किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार, यथा संस्तुति व्यक्तियों में से, विभिन्न विषयों में उचित ख्याति वाले 4 व्यक्तियों को संस्थान के सदस्यों के रूप में नामित करेगी।

4. आकस्मिक रिक्तियों को भरना – पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के कार्यालय में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा।

5. अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते— (1) अध्यक्ष या कोई भी सदस्य ऐसी यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय किसी भी भत्ते या अन्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे, जिसके लिए वे धारा 29 के अधीन विरचित विनियमों के अधीन पात्र हैं।

(2) उप-नियम (1) की कोई भी बात निदेशक पर लागू नहीं होगा जो निदेशक के पद से जुड़ा हुआ वेतन और भत्ता प्राप्त कर सकेंगे।

6. स्थायी वित्त समिति — (1) एक स्थायी वित्त समिति का गठन किया जाएगा जिसमें वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य शामिल होगा।

(2) निम्नलिखित मामलों को स्थायी वित्त समिति के पास भेजा जाएगा जो उन पर विचार करेगी और उस पर अपनी सिफारिशें देंगी, अर्थात्: -

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संस्थान की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाले वार्षिक खाते;

(ख) संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाला बजट अनुमान;

(ग) नए पदों के निर्माण के लिए सभी प्रस्ताव;

(घ) संस्थान से संबंधित सभी वित्तीय मामले; और

(ड.) निविदाओं के आमंत्रण और स्वीकृति से संबंधित सभी मामले।

7. स्थायी समितियाँ — (1) गठित की गई प्रत्येक स्थायी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सात से अनधिक अन्य सदस्य होंगे। निदेशक ऐसी प्रत्येक समिति का सदस्य और पदेन सचिव होगा। प्रत्येक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संस्थान द्वारा नामित किया जाएगा।

(2) विशिष्टतया, एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा, जिसे अधिनियम की धारा 14 में निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के प्रयोजन से अकादमिक समिति कहा जाएगा, एक अन्य स्थायी समिति को परिवर्धन और परिवर्तन पर प्रयोजन और संस्थान से संबंधित भवनों में परिवर्तन और उनके रखरखाव और उपयोग से संबंधित अन्य प्रश्न और संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए एक संयुक्त केंद्रीय या क्षेत्रीय समिति पर विचार करने के प्रयोजन के लिए संपदा समिति कहा जाएगा।

(3) स्थायी समिति के सदस्यों के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। एक निर्गामी सदस्य पुनःनामांकन के लिए पात्र होगा।

(4) किसी स्थायी समिति में एक आकस्मिक रिक्ति अध्यक्ष द्वारा नामांकन के जरिए भरी जा सकती है।

8. तदर्थ समितियाँ — (1) ऐसे प्रयोजनों के लिए संस्थान द्वारा एक तदर्थ समिति का गठन किया जा सकता है जैसाकि आवश्यक समझा जाए।

(2) किसी तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) तदर्थ समिति के सदस्यों के पद का कार्यकाल विशिष्ट कार्य के पूर्ण होते ही अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए ऐसी समिति का गठन किया गया है।

(4) तदर्थ समिति में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामांकन के जरिए भरा जाएगा।

9. पदों का सृजन और उनपर नियुक्ति — (1) संस्थान सरकार के अधीन समान पदों के लिए लागू वेतनमान पर या सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों पर बजट में विशिष्ट उपबंध के अधीन पद सृजित कर सकता है, या सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान पर ग्रेड में वर्गीकृत कर सकता है, उनके पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है और स्थायी वित्त समिति, शासी निकाय और सरकार के अनुमोदन के पश्चात् उन्हें अधिसूचित कर सकता है।

(2) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक संकाय पद की भर्ती हेतु संस्थान द्वारा गठित सभी चयन समितियों के सदस्य होंगे।

(3) निदेशक पद की नियुक्ति सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान द्वारा की जाएगी।

(4) यदि निदेशक अवकाश पर रहते हुए त्याग पत्र देते हैं, या सेवा निवृत्त होते हैं या किसी अन्य संभावितता में पद रिक्त है तो ऐसे समय तक नया निदेशक नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति छः माह से अनधिक अवधि के लिए निदेशक के कार्यों की देखरेख के लिए ज्येष्ठतम आचार्य की नियुक्ति करेंगे।

परन्तु संस्थान, कारण जो अभिलिखित किए जाएंगे, छः माह से अनधिक अवधि हेतु किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है।

परन्तु यह और कि यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि सरकार के पूर्व अनुमोदन से छः माह अधिक हो जाती है, ऐसी नियुक्ति में वह ली जायेगी।

10. बजट अनुमान — संस्थान की अनुमानित प्राप्तियों और परिव्यय दर्शाता वार्षिक बजट ऐसे प्ररूप में तैयार किया जाएगा जैसे कि सरकार द्वारा अधिकथित किया जाए और प्रत्येक वर्ष की 15 अक्टूबर के अपश्चात् तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

11. निधि में जमा और निकासी — (1) निधि में जमा सभी राशि नई दिल्ली में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा या राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी।

(2) सभी निधियां निदेशक द्वारा संचालित की जाएगी और निधि से सभी निकासी निदेशक या निदेशक के स्थान पर विधिवत रूप से प्राधिकृत संस्थान के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक द्वारा की जाएगी।

(3) भुगतान हेतु सभी बिलों को पहले संस्थान के लेखा अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

12. लेखा का वार्षिक विवरण — संस्थान के तुलन पत्र सहित लेखा का वार्षिक विवरण ऐसा होगा जिसे सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष से संबंधित विवरण उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ कुछ अलग प्रतियों में जिसके साथ सरकार को आगामी 31 दिसंबर से पूर्व वार्षिक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट — अधिनियम की धारा 19 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से जोड़ा जाए और आगामी वर्ष की 31 अगस्त से अपश्चात् 50 अलग प्रतियों के साथ सरकार को प्रस्तुत किया जाए।

14 विवरणी — संस्थान सरकार द्वारा अपेक्षित प्ररूप और रीति में विवरणी और सूचना प्रस्तुत करेगा।

[फा.सं.वी-16020/04/2018-आईएनआई-।]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2019

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) and in supersession of the All India Institute of Medical Sciences Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before supersession, the Central Government after consultation with the Institute hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the All India Institute of Medical Sciences Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956);
- (b) "Director" means the Director of the Institute;
- (c) "Government" means the Central Government;
- (d) "Indian University" means any University established either by the Central Government or any State Government and includes Deemed University;
- (e) "President" means the President of Institute;
- (f) "Section" means a section of the Act.;
- (g) "Standing" or "ad hoc" Committees means respective standing and ad hoc Committees constituted under sub-section (5) of section 10 of the Act.

3. Nomination of representatives of Medical Faculties. — (1) For the purpose of nomination of members under clause (f) of section 4 of the Act, the Vice-Chancellor of every Indian University having medical faculty may recommend one person from the Medical faculty of the University including the Vice-Chancellor, if the said Vice-Chancellor is a Medical personnel.

(2) Among the persons so recommended, the Central Government shall nominate four persons as members of the Institute having due regard to different disciplines.

4. Filling up the casual vacancies. — Any casual vacancy in the office of members other than ex-officio members shall be filled in accordance with the provisions of section 6.

5. Allowances of President and members. — (1) The President or any member shall not be entitled to any allowance or other remuneration except such travelling and daily allowances for which they are eligible under the regulations framed under section 29.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to the Director who may draw the salary and allowance attached to the post of Director.

6. Standing Finance Committee. — (1) There shall be constituted a Standing Finance Committee which shall include member representing the Ministry of Finance.

(2) The following matters shall be referred to the Standing Finance Committee which shall consider them and make its recommendations thereon, namely: —

- (a) annual accounts showing the receipts and expenditure of the Institute together with the audit report thereon;
- (b) budget estimates showing the estimated receipts and expenditure of the Institute;
- (c) all proposals for the creation of new posts;
- (d) all financial matters pertaining to the Institute; and
- (e) all matters relating to the invitation and acceptance of tenders.

7. Standing committees. — (1) Every standing committee constituted shall be consisting of a Chairman, a Vice Chairman and not more than seven other members. The Director shall be a member and ex-officio Secretary of each such committee. The Chairman and Vice Chairman and other members of each committee shall be nominated by the Institute.

(2) In particular, there shall be constituted, a standing committee to be called the Academic committee for the purpose of considering the matters specified in section 14 of the Act, another standing committee to be called the Estate committee

for the purpose of considering additions and alterations to buildings belonging to the Institute and other questions relating to their maintenance and use and, a combined Central or Regional committee for recruitment of faculty members.

(3) The term of office of members of a standing committee shall be five years. An outgoing member shall be eligible for re-nomination.

(4) A casual vacancy in a standing committee may be filled by the President by nomination.

8. Ad hoc committees. — (1) An ad hoc committee may be constituted by the Institute for such purposes as it may consider necessary.

(2) The Chairman and members of an ad hoc committee shall be nominated by the Governing Body.

(3) The term of office of members of ad hoc committee shall be terminated as soon as the specific function for which such committee is constituted is completed.

(4) Any casual vacancy in an ad hoc committee shall be filled by nomination by the Chairman of the Governing Body.

9. Creation of posts and appointment thereon. — (1) The Institute may create posts, subject to specific provision in the budget, on scales of pay applicable to similar posts under the Government or on scales of pay approved by the Government, classify them into grades, specify their designation and notify them after approval of Standing Finance Committee, Governing Body and the Government.

(2) The Director General of Health Services shall be a member of all Selection Committees constituted by the Institute for recruitment to faculty posts.

(3) Appointment to the post of Director shall be made by the Institute with the prior approval of the Government.

(4) In the event of the Director proceeding on leave, resigning or retiring, or the post falling vacant in any other eventuality, till such time a new Director is appointed, the President may appoint the senior-most professor to look after the functions of the Director for a period not exceeding six months:

Provided that the Institute may appoint, for reasons to be recorded in writing, any other person for a period not exceeding six months:

Provided further that if the period of such appointment exceeds six months prior approval of the Government shall be taken for such appointment.

10. Budget Estimates. —The annual budget showing the estimated receipts and expenditure of the Institute shall be prepared in such form as may be laid down by the Government and shall be submitted to it in triplicate not later than the 15th October each year.

11. Deposits into and withdrawals from the Fund.—(1) All moneys credited to the Fund shall be deposited in any branch of the State Bank of India or a nationalised Bank in New Delhi.

(2) The Fund shall be operated by the Director, and withdrawals from the Fund shall be made by cheques signed by the Director or an officer of the Institute duly authorised by the Director in this behalf.

(3) All bills for payment shall be pre-checked by the Accounts Officer of the Institute.

12. Annual statement of accounts.—The annual statement of accounts including the balance sheet of Institute shall be in such form as may be laid down by the Government. The Statement pertaining to each year ending with 31st March together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Government together with such number of spare copies thereof as may be required by the Government from time to time but not later than the 31st December following.

13. Annual Report. —The Annual Report referred to in section 19 of the Act shall relate to the year ending with the 31st March of each year and be submitted to the Government together with 50 spare copies thereof, not later than the 31st August following year.

14. Returns.—The Institute shall furnish to the Government returns and information in such form and manner as may be required by the Government.

[F. No. V-16020/04/2018-INI-I]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.